रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2001/श्रावण 8, 1923

No. 202] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2001/SRAVANA 8, 1923

CENTRAL LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2001

फा. सं. 34/30/2001/वि.क. —सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 5 जुलाई, 2001 को हुए मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्प लिया गया था जिसमें मूल्य वर्धित कर को लागू करने के कारण हुई किसी राजस्व हानि का पता लगाने के लिए राज्यों के वित्त सचिवों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i)	अपर सचिव (राजस्व), भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	वित्त सचिव, गुजरात	सदस्य
(iii)	राजस्व सचिव, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
(iv)	वित्त सचिव, महाराष्ट्र	सदस्य
(v)	वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल	सदस्य
(vi)	वित्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	सदस्य
(vii)	वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(viii)	श्री एन. जे. कुरियन, सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य
(ix)	श्री योगेश चन्द्रा (आर्थिक सलाहकार) आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
(x)	संयुक्त सचिव (एनसीबी एण्ड ए)	सदस्य
(xi)	संयुक्त सचिव (कर अनु. एकक) के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड	सदस्य
(xii)	उप सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य

3. श्री अभय त्रिपाठी, निदेशक (बिक्री कर), राजस्व विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) मूल्य वर्धित कर को लागू करने के कारण हुई किसी राजस्व हानि का पता लगाने के लिए स्पष्ट एवं परिमेय आधार का विकास करना; और

(ख) क्षति पूर्ति किस प्रकार की जाए तथा इसकी मात्रा क्या हो, इसके बारे में निर्णय करना।

5. समिति अपने कार्य के लिए स्वयं की कार्य-पद्धति तैयार करेगी और यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों से आवश्यकता होने पर सूचना मांग सकती है।

6. समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2001 तक प्रस्तुत करेगी।

डॉ. जी. सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th July, 2001

F. No. 34/30/2001-ST.—The Conference of Chief Ministers and Finance Ministers of all States/Union Territories held on 5th July, 2001 had adopted a resolution recommending constitution of a Committee consisting of Finance Secretaries of States and officials of Finance Ministry for judging revenue loss, if any, due to the introduction of VAT.

2. In pursuance of this Resolution, the Government has decided to appoint a Committee for this purpose. It will consist of :—

(i)	Additional Secretary (Rev), GOI	Chairman
(ii)	Finance Secretary, Gujarat	Member
(iii)	Revenue Secretary, Andhra Pradesh	Member
(iv)	Finance Secretary, Maharashtra	Member
(v)	Finance Secretary, West Bengal	Member
(vi)	Finance Secretary, NCT of Delhi	Member
(vii)	Finance Secretary, Uttar Pradesh	Member
(viii)	Sh. N. J. Kurian, Advisor, Planning Commission	Member
(ix)	Sh. Yogesh Chandra (Economic Advisor) Deptt. of Economic Affairs.	Member
(x)	Joint Secretary (NCB&A)	Member
(xi)	Joint Secretary (TRU), CBEC	Member
(xii)	Deputy Secretary (Budget) DEA	Member

3. Shri Abhay Tripathi, Director (Sales-tax), Department of Revenue will be Member Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of this Committee will be :—

(a) to develop clear and measurable criteria for judging revenue loss, if any, due to introduction of VAT; and

(b) to decide about the manner of compensation as well as quantum of compensation.

5. The Committee will evolve its own procedure for its work and may call for information as may be necessary from Central and State Governments/Union Territories.

6. The Committee will submit its report by 30th September, 2001.

Dr. G. C. SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.